न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– रमेशकुमार आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 183/2023

1. नानूराम पुत्र बीरबलराम जाति बिश्नोई निवासी चक 5 एमडब्ल्युएम तहः खाजूवाला जिला बीकानेर

.....प्रार्थी

1. किस्तुरी पत्नी रेवंताराम जाति जाट निवासी तख्तपुरा तहः छतरगढ़ जिला बीकानेर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री रफीकशाह, श्री इमीचंद गोदारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट
–: आदेश :– दिनांक :– 07.05.24

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील खाजूवाला का चक 3 एमडब्ल्युएम का मु0नं0 91/56 के किला नं0 22 ता 25 प्रत्येक में 0.2529–0.2529 है0 कुल 1.0116 है0 कमाण्ड व मु0नं0 91/61 के किला नं0 20 ता 25 प्रत्येक में 0.2529–0.2529 है0 कुल 1.5174 है0 मय खाला कमाण्ड व मुरब्बा नं0 91/62 के किला नं0 19 ता 25 प्रत्येक में 0.2529–0.2529 है0 कुल 1.7703 है0 इसप्रकार तीनों मुरब्बों में कुल 4.2993 है0 मय खाला कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी अपनी ढाणी बनाकर अपने परिवार सहित मय पशुधन निवास करता है। प्रार्थी को अपनी उक्त कृषि भूमि में आने–जाने व कृषि भूमि में काश्त करने के लिए ट्रैक्टर आदि साधन लाने के लिए कोई कटानशुदा रास्ता उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थीया सं0 1 के नाम से चक 3 एमडब्ल्युएम का मु0नं0 91/56 के किला नं0 5 ता 9 प्रत्येक में 0.2529–0.2529 है, 10/2 में 0.2276 है0, 11/1 में 0.2276 है0, 12 ता 19 प्रत्येक में 0.2529–0.2529 है0, 20/2 में 0.2276 है0, 21/2 में 0.2276 है0 कुल 4.1981 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि है। अप्रार्थीया सं0 1 के मुरब्बा नं0 91/56 के किला नं0 21/2 में दक्षिण दिशा की तरफ से पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर प्रार्थी के मुरब्बा नं0 91/56 के किला नं0 22 के टच होता रास्ता वर्षो से चालू है जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थी करता आ रहा है तथा अप्रार्थीया संख्या 1 के मुरब्बा नं0 91/56 के किला नं0 10/1, 11/2, 20/1, 21/1 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा कुल 8 बिस्वा रास्ता कटानशुदा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में प्रवेश करने के लिए अप्रार्थीया सं0 1 के मुरब्बा नं0 91/56 के किला नं0 21/2 में दक्षिण दिशा की तरफ से पश्चिम से पूर्व की ओर 2 बिस्वा यानि 0.0253 है0 रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है जो वर्तमान में चालू रास्ता है। उक्त रास्ता मन्जूर कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने का आदेश करने का निवेदन किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के बाद अप्रार्थी सं0 1 को पक्ष रखने हेतु रजि0 डाक से नोटिस भिजवाया गया जिसपर अप्रार्थी सं0 1 हाजिर नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई और प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थी को उक्त रास्ता की महती आवश्यकता है और इस रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है एवं यह रास्ता सबसे निकटतम है इसलिए मु0नं0 91/56 के किला नं0 21/2 में 2 बिस्वा यानि 0.0253 है0 रास्ता स्वीकृत किया जावे। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाने योग्य है।

पत्रावली तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला से इस संबंध में रिपोर्ट तलब की गई रिपोर्ट के मुताबिक चक 3 एमडब्ल्युएम के मु0नं0 91/56 के किला नं0 22 ता 25 रकबा 1.0116 है0 कमाण्ड कृषि भूमि प्रार्थी नानुराम पुत्र बीरबलराम जाति बिश्नोई निवासी 5 एमडब्ल्युएम के नाम दर्ज रिकॉर्ड है व इसी मुरब्बा के किला नं0 5 ता 21 में 4.1981 है0 भूमि किस्तुरी पत्नी रेवन्ताराम जाति जाट निवासी तख्तपुरा तहसील छतरगढ़ के नाम दर्ज है जिसके किला नं0 10, 11, 20, 21 में कुल 02–02 बिस्वा रास्ता कटानशुदा है जो 8 केएलडी से मुस्लिमजोड़ी सड़क मार्ग से मिलता है। प्रार्थी नानुराम अप्रार्थीया किस्तुरी के कि0नं0 21 के दक्षिणी किनारे 16.5 फीट चौड़ा मार्ग आवागमन बाबत् कटवाना चाहता है। जिसका कुल रकबा 0.0228 हैक्टर होता है। रिकॉर्ड अनुसार प्रार्थी नानुराम के सबसे नजदीकी कटानी मार्ग यही है व अन्य कोई कटानी मार्ग नहीं लगता।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट के अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। अदालत का यह फैसला है कि काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा चक 3 एमडब्ल्युएम मु0नं0 91/56 के किला नं0 21/2 में दक्षिण दिशा की तरफ से पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर (16.5 फीट चौड़ा व 148.5 लम्बा) यानि 0.0228 हैक्टर रास्ता खेत गैरमुमकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला उक्त 0.0228 हैक्टर भूमि की डीएलसी से दुगुनी राशि प्रार्थी से नियमानुसार जमा करवाकर अप्रार्थी को देवे एवं नियमानुसार उक्त रास्ता का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेशकुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)